RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ५, अंक २] गुरुवार, फेब्रुवारी २८, २०१९/फाल्गुन ९, शके १९४० [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २८ फरवरी २०१९ ई. को पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. VIII OF 2019.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2019.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ८, सन् २०१९।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च २०१९ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता हैं, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१९ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये; इसलिए, भारत के गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१९ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिये ४२ अरब, ८४ करोड, ६५ लाख, ३६ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नही होंगी और जो कुल मिलाकर बयालीस अरब, चौरासी करोड, पैंसठ लाख, छत्तीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१९ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१९ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
				विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-५	सामाजिक सेवाएँ ।	२२१६, आवास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ । २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ ।	. .	४,८२,२६,०२,०००	. . .	४,८२,२६,०२,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग	. .	४,८२,२६,०२,०००	. . .	४,८२,२६,०२,०००
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—गृह विभाग ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन ।	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	. .	५२,०७,०३,०००	. .	५२,०७,०३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
	राजस्व तथा वन विभाग—जारी			रुपये	रुपये	रुपये
सी-५	अन्य समाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	. .	१०,८२,११,०००	. .	१०,८२,११,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध मे राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध मे राहत।	. .	२०,१९,५०,७२,०००	. .	२०,१९,५०,७२,०००
सी-७	वन ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र ।	. .	४,०००	. .	४,०००
		कुल-राजस्व तथा वन विभाग ।	. .	२०,८२,३९,९०,०००	. .	२०,८२,३९,९०,०००
	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-३	कृषि सेवाएँ ।	२४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।	. . . . . .	३०,०००	. .	३०,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	. .	३,०५,३०,८६,०००	. .	३,०५,३०,८६,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग ।	२४०५, मत्स्य उद्योग ।	. .	२८,७३,५१,०००	. .	२८,७३,५१,०००
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई । ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	. . . .	५१,३४,०००	. .	५१,३४,०००
		कुल-कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	३,३४,५६,०१,०००	. .	३,३४,५६,०१,०००

		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग				
इ-२	सामान्य शिक्षा ।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	५३,०००	. .	५३,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति, २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिच्छडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	८,४२,४८,०००	. .	८,४२,४८,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन	. .			
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग	. .	८,४३,०१,०००	. .	८,४३,०१,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल ।	. .	५,०००	. .	५,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—नगरविकास विभाग	. .	७,०००	. . .	७,०००
		वित्त विभाग				
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	. .	१,०००	. .	१,०००
जी-३	ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएँ।	२०४८, ऋण कमी करने या परिहार के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	. .	. .	१,०००	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ ।	. .	. .	३१,३६,२८,०००	३१,३६,२८,०००
जी-७	ब्याज अदायगियाँ और ऋृण सेवाएँ ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	. .	. .	. .	. .
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—वित्त विभाग	. .	३,०००	३१,३६,२९,०००	३१,३६,३२,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास ।	२२१६, आवास ।	. .	१,०००	. .	१,०००
एच-५	सड़क तथा पुल ।	३०५४, सड़क तथा पुल ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग	. .	३,०००	. .	३,०००
		जलस्त्रोत विभाग				
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई । २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—जलस्त्रोत विभाग	. .	२,०००	. .	२,०००

		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	१५,०००	. .	१५,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३५, सामाजिक तथा सुरक्षा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग	. .	१७,०००	. .	१७,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	४,०००	. .	४,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	२,९३,५२,०००	. .	२,९३,५२,,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	. .	१०,७३,६५,९५	. .	१०,७३,६५,९५
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग	. .	१०,७६,५९,५१	. .	१०,७६,५९,५१
		ग्रामविकास विभाग				
एल-१	ब्याज अदायगी।	२०४९, ब्याज अदायगी।	. .	. .	१,४२,८२,३५,०००	१,४२,८२,३५,०००
एल-२	जिला प्रशासन	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	२,०००	. .	२,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग	. .	४,०००	१,४२,८२,३५,०००	१,४२,८२,३९,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २८०१, विद्युत।	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		आवास विभाग				
क्यू-३	आवास ।	२२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. . . .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—आवास विभाग	. .	२,०००	. .	२,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-२	आवास ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ । २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. . . .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग	. .	२,०००	. .	२,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-३	आवास ।	. . . . . .—सामाजिक सेवाएँ ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .			
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग	. .	२,०००	. .	२,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय, ऊर्जा। २८५२, उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५५, सड़क परिवहन।	. .	३७,०००	. .	३७,०००
		. . . .—जनजाति विकास विभाग ।	. .	३७,०००	. .	३७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल आपूर्ति।	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	२,०००	. .	२,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	२,०००	. .	२,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	. .	. .	. .
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	. .	४,०००	. .	४,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	. .	. .	. .
		२२३६, पोषण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	६,७५,९०,०००	. .	६,७५,९०,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	६,७५,९०,०००	. .	६,७५,९०,०००

		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	. .	. .	. .
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग				
जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	. .	. .	. .
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	२,०००	. .	२,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन				
		कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय				
जेड-ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडल।	. .	२,०००	. .	२,०००
			. .			
		कुल—महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय।	. .	२,०००	. .	२,०००
		पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग				
जेड-घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	. .	१,०००	. .	१,०००
जेड-घ-४	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	. .	. .	. .
		३४५२, पर्यटन।	. .	११,६८,९०,०००	. .	११,६८,९०,०००
		कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	११,६८,९१,०००	. .	११,६८,९१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड-ङ-१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. . . .	. . २,०००	. . . .	. . २,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग				
जेड-छ-२	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, गृहनिर्माण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।		२,०००	. .	२,०००
जेड़-छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग।	२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यंको का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१,०००	. .	१,०००
		कुल —विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग।	. .	३,०००	. .	३,०००
		मृदा तथा जल संरक्षण विभाग				
जेड़-एच-३	सिंचाई, विद्युत और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २७०७, लघु सिंचाई।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	४०,०२,७०,४४,०००	१,७४,१८,६४,०००	४१,७६,८९,०८,०००

		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५००२, भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईन पर पूंजीगत परिव्यय ५०५५, सडक परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,०००	. .	३,०००
		कुल गृह विभाग।	. .	३,०००	. .	३,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. . . .	. . ४,०००	. . . .	. . ४,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	४,०००	. .	४,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२३,००,००,०००	. .	२३,००,००,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	२३,००,००,०००	. .	२३,००,००,०००
		नगर विकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५९,९९,९०,०००	. .	५९,९९,९०,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	५९,९९,९०,०००	. .	५९,९९,९०,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पुंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	८,०००	१६,९२,६१,०००	१६,९२,६९,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	९,०००	१६,९२,६१,०००	१६,९२,७०,०००
		जलस्त्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पुंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पुंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५६,०००	. .	५६,०००
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	५६,०००	. .	५६,०००
		ग्रामविकास विभाग				
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००

		योजना विभाग				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. .	१,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	१,०००	. .	१,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	. .	७,८३,००,०००	. .	७,८३,००,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	७,८३,००,०००	. .	७,८३,००,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल-चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल-ख-पूंजी लेखे पर व्यय।	. .	९०,८३,६७,०००	१६,९२,६१,०००	१,०७,७६,२८,०००
		कुलयोग ।	. .	४०,९३,५४,११,०००	१,९१,११,२५,०००	४२,८४,६५,३६,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में राज्य की समेकित निधि में से २०१८-१९ वर्ष के लिए, कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई है :—

		रुपये
(क) राजस्व व्यय	. .	४१,७६,८९,०८,०००
(ख) पूंजीगत व्यय	. .	१,०७,७६,२८,०००
कुल	. .	४२,८४,६५,३६,०००

मुंबई,
दिनांकित २८ फरवरी, २०१९।

सुधीर मुनगंटीवार,
वित्त मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.